जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक / एफ / प्रशा / स्था / 2021 / 4001 दिनांक: 19/4/2021

// कार्यालयीन आदेश //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.02.2012 के पद कंमाक अ–अ–08 तथा कार्यालयीन आदेश कंमाक / एफ / प्रशा / स्था / 2012 / 6259, दिनांक 17.10.2012 के द्वारा अतिथि शिक्षकों को एक सेमेस्टर (06 माह) में अधिकतम मानदेय 90,000 / – स्वीकृत किया गया था।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05 दिसम्बर 2020 की स्थगित बैठक दिनांक 29 जनवरी 2021 के पद कमांक–02 पर लिये गये निर्णयानुसार अतिथि शिक्षकों को सत्र 2020–21 से एक सेमेस्टर (06 माह) में अधिकतम मानदेय 90,000 / – के स्थान पर अधिकतम रूपये 1,50,000 / – स्वीकृत किया जाता है, जिसमें मासिक सीमा का बंधन नही होगा तथा वार्षिक पाठ्यक्रमों में (सत्र –2020–2021 से) व्याख्यान संख्या 130 तथा एक वर्ष में अधिकतम भुगतान की सीमा रूपये 3,00,000 की पात्रता होगी। शेष शर्ते अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में पूर्व में जारी आदेशानुसार रहेगीं।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / समन्वयक / निदेशक / अध्ययनशालाऐं, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. सहायक कुलसचिव, लेखा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. समस्त अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।संबंधित पत्रावली हेतु।

सहा / उप–कुलसचिव (प्रशा0)